न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 03/2026 (GCMS : 2026/3)

1. **राजेन्द्र कुमार** पुत्र श्री सोहन सिंह जाति बिश्नोई निवासी वृद्धाश्रम रोड, हनुमाननगर, गायत्री मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर
2. **इन्द्राज** पुत्र श्री सोहन सिंह जाति बिश्नोई निवासी मकान नम्बर 1212 वार्ड नम्बर 14, बतरा चक्की के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **जयकिशन** पुत्र श्री सोहन सिंह जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एमएल कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **हंसराज** पुत्र श्री सोहन सिंह जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एमएल कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **भागवन्ती** पुत्री श्री सोहन सिंह पत्नी भूपराम डारा जाति बिश्नोई निवासी डाबला वाया मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. **सुनील कुमार** पुत्र श्री सोहन सिंह जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एमएल कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. **उपखण्ड अधिकारी, घड़साना**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड़ उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि चक 4 केएलडी मुरब्बा नम्बर 37 की 6.200 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से प्रत्येक की 1/6, 1/6 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि है, जिसका विभाजन किया जाना है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पास चक 1 एमएल श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31, 32 की कुल आराजी 8.0960 हैक्टेयर में से 2.222 हैक्टेयर कृषि भूमि चक 4 केएलडी तहसील रावला की मुरब्बा नम्बर 37 की 4.150 हैक्टेयर कमाण्ड एवं 1.924 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल 6.074 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा नाचणा जिला जैसलमेर में संयुक्त परिवार की आय से आवंटन कृषि भूमि 50.00 बीघा का वाद उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष वाद विचाराधीन है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सम्पूर्ण कृषि भूमि चक 1 एमएल, श्रीगंगानगर वाके चक 4 केएलडी जिला श्रीगंगा[illegible] एक एकीकृत वाद श्रीगंगानगर उपखण्ड अधिकारी [illegible] इसलिए वाद की बाहुलता को रोकने के लिए एक[illegible] में आवश्यक है और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा के 17 के अनुसा[illegible]क्त वाद मुंतकिल किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत **अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि** अप्रार्थीगण की श्रीगंगानगर और घड़साना में अलग अलग भूमि है, जिसमें दोनों अधिकारियों का अलग–अलग क्षेत्राधिकार है, जिसे एग्जाई करने की आवश्यकता नहीं है।

अप्रार्थी के पास नाचना जिला जैसलमेर मे भूमि खरीद की हुई है, जिसे भी प्राथीगण अपने नाम से विभाजन करवाना चाहते हैं, जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी ने अपनी आय से खरीद की हुई है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 17 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है, क्योंकि दोनों भूमि स्पष्ट रूप से अलग अलग उपखण्ड अधिकारियों के क्षेत्राधिकार मे स्थित हैं।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 28.01.2026 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 109/2025 अनवान जयकिशन बनाम इन्द्राज आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के गुणदोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 17 के तहत, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 17 निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

Section 17 - Suits for immovable property situate within jurisdiction of different Courts :

Where a suit is to obtain relief respecting, or compensation for wrong to, **<u>immovable property situate within the jurisdiction of different Courts</u>**, the suit may be instituted in any Court within the local limits of **whose jurisdiction any portion of the property is situate:**

Provided that, in respect of the value of the subject-matter of the suit, the entire claim is cognizable by such Court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 17 के अनुसार विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति से संबंधित मामलों में मुकद्दमा दायर करने का स्थान निर्धारित करती है। धारा 17 के अनुसार यदि किसी एक सम्पत्ति का कोई हिस्सा दो अलग–अलग अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है, तो पूरा प्रकरण किसी एक अदालत में दायर किया जा सकता है। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में जिस प्रकरण को प्रार्थीगण **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** की धारा 17 के तहत मुंतकिल करवाना चाहते है, वह अलग–अलग दो उपखण्ड अधिकारियों के क्षेत्राधिकार मे है, जो लगभग 150 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जिसमें **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** की धारा 17 के प्रावधान लागू नहीं होते है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है, जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र कोई ठोस आधार के न होने के कारण, खारिज करना उचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को भिजवाई जाये। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested